रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 128] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 1, 1991/चैत्र 11, 1913
No. 128] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 1, 1991/CHAITRA 11, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1991

सं. 41/91-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 195(अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है भारत सरकार के वित्त

मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 35/90-सीमाशुल्क, तारीख 20 मार्च 1990 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं. 2 के सामने स्तम्भ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर "ऐसा कोक जिसमें 0.035 प्रतिशत या उससे कम फास्फोरस अंश हो, जब उसका कच्चे लोहे के विनिर्माण के लिये भारत में आयात किया जाता है" प्रविष्टि रखी जायेगी।

[फा. सं. 346/25/88-टी. आर. यू.]

रा. कु. महाजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 1991

No. 41/91-CUSTOMS

G.S.R. 195 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 35/90-Customs, dated the 20th March, 1990, namely :—

In the Table to the said notification, against S. No. 2, for the entry in Column (3), the entry "Coke with phosphorous content of 0.035 per cent or below, when imported into India for the manufacture of pig iron" shall be substituted.

[F. No. 346/25/88-TRU]

R. K. MAHAJAN, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991